

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री कपिल कुमार पुत्र श्री भागमल
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10812-ई दिनांक 09/05/2023
अपील कम्प संख्या : 42 दिनांक 04/07/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-10, रोहिणी के द्वारा प्रदान की गई सूचना दिनांक 12/06/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

प्रश्न संख्या-1 के लिए प्रदान की गई सूचना संतोषजनक नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-10 को आदेश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को उसके जेल में रहने की अवधि के दौरान प्रदान की गई सहायक श्रम की सूचना इस आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपलब्ध कराये।

तदनुसार प्रथम अपील निरस्त की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

21/07/23
उप महानिरीक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री कपिल कुमार पुत्र श्री भागमल

F10(3476489)/10812-E/CJ/Legal/2023/4813-14 Dated: 21/07/2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-10, रोहिणी, नई दिल्ली-110089.